उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-1706/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-291-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(352)-2025

लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा क0नि0.-2-843/XI-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक 30.06.2017, में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 18 के समक्ष, स्तंभ (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि में निहित अन्तर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(i) किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ; या

(ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्थानीय वितरण सेवाएँ।";

(ii) क्रम संख्या 36ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36ग	शीर्षक 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली जीवन बीमा कारबार सेवाएँ जहाँ बीमित व्यक्ति एक समूह नहीं है। [कृपया पैरा 2 में खंड (यचख) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहाँ बीमित एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति और उक्त व्यक्ति का परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए, परिवार में, बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।	शून्य	शून्य
36घ	शीर्षक 9971	बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा कारबार सेवाएँ जहाँ बीमित व्यक्ति एक समूह नहीं है।	शून्य	शून्य

File No. 11-2099/311/2025-कर एवं निबंधन अनुभाग-2-state tax department (Computer No. 1971710)
Generated from eOffice by SURINDER SINGH, ARO(Surinder)-stateTax, सहायक समीक्षा अधिकारी, राज्य कर विभाग on 20/09/2025 07:06 PM

		[कृपया पैरा 2 मे खड (यचख) देखें] स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण हेतु, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि: क. यह छूट उस बीमा अनुबंध पर लागू होगी जहां बीमित एक व्यक्ति या एक व्यक्ति और उक्त व्यक्ति का परिवार है। ख. उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए; परिवार में, बीमा अनुबंध में परिवार के रूप में बीमित सभी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।		
36ङ	शीर्षक 9971	क्रम सख्या 36ग या 36घ में विनिर्दिष्ट बीमा सेवाओं का पुनर्बीमा।	शून्य	शून्य

(ख) पैरा 2 में,

(i) खंड (यड•) के स्थान पर निम्नलिखित को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(यड•) 'माल परिवहन अभिकरण' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो सड़क मार्ग से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और किसी भी नाम से माल भेजने का नोट जारी करता है, किन्तु इसमें सम्मिलित नहीं है:-

(i) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं";

(ii) खंड (यचक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(यचख) ऊपर सारणी में क्रम संख्या 36ग और 36घ की प्रविष्टियों के प्रयोजनों के लिए, 'समूह' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो बीमा प्राप्त करने के अलावा एक समान उद्देश्य से या एक समान आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए एक साथ आते हैं, और इसमें सम्मिलित हैं:

क. नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच, लागू विधियों के अनुसार, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध विद्यमान हो;

ख. गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह, जहाँ बीमा के अलावा अन्य सेवाओं/गतिविधियों के लिए मास्टर/समूह पॉलिसीधारक और समूह के सदस्यों के बीच स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष संबंध विद्यमान हो।";

(iii) खंड (यछ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: -

"(यछक) 'स्वास्थ्य बीमा कारबार' का तात्पर्य ऐसे अनुबंधों का कार्यान्वयन है जो रूग्णता लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ, चाहे वे आंतरिक रोगी हों या बाह्य रोगी, यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करते हैं;"।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 सितंबर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव

Digitally signed by
M DEVARAJ
Date: 20-09-2025
17:22:26